

सं. डब्लू-11013/19/2013-एनबीए
भारत सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
(एनबीए अनुभाग)

12वाँ तल, पर्यावरण भवन,
सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड,
नई दिल्ली-110003
दिनांक : 08 सितम्बर, 2014

सेवा में,

सचिव/

ग्रामीण स्वच्छता के प्रभारी सचिव

हिमाचल प्रदेश/मेघालय/सिक्किम/केरल/महाराष्ट्र/मध्य प्रदेश और मणिपुर राज्यों के प्रधान सचिव

विषय : निर्मल भारत अभियान (एनबीए) के अन्तर्गत जिला-वार संशोधित परिव्यय।

महोदय/महोदया,

आर्थिक मामलों पर मंत्रिमण्डल समिति ने दिनांक 07.06.2012 को हुई अपनी बैठक में ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम को 12वीं पंचवर्षीय योजना में जारी रखने का अनुमोदन (दिनांक 12.06.2012 के अनुमोदन संख्या सीसीईए/11/2012 के माध्यम से) किया है। सीसीईए के इस निर्णय के संबंध में दिनांक 13.06.2012 के पत्र संख्या डब्लू.11013/18/2012-सीआरएसपी के माध्यम से सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रधान सचिव/ग्रामीण स्वच्छता के प्रभारी सचिवों को सूचित कर दिया गया था। संशोधित प्रोत्साहन राशि/वित्तीय सहायता के संबंध में भी दिनांक 01.04.2012 के प्रभाव से संशोधित माने जाने के बारे में सूचना दी गई थी। एनबीए के विस्तृत दिशानिर्देश जुलाई, 2012 में जारी किए गए थे।

2. इसके अतिरिक्त, दिनांक 23.07.2012 के पत्र संख्या डब्लू.11013/18/2012-सीआरएसपी के माध्यम से सभी राज्यों को जनगणना, 2011 और एनबीए के संशोधित प्रावधानों के अनुसार, उपयुक्त रूप से संशोधित परियोजना कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) तैयार करने के लिए कार्रवाई शुरू करने को कहा गया था।

3. तदनुसार, राज्यों द्वारा बेसलाइन सर्वे डाटा के आधार पर संशोधित पीआईपी तैयार किए गए और मंत्रालय को प्रस्तुत किए गए। कुछ राज्यों द्वारा प्रस्तुत पीआईपी को दिशानिर्देशों के अनुसार एनएसएससी की 46वीं और 47वीं बैठक में विचार हेतु रखा गया था। तथापि, बैठकों के दौरान यह महसूस किया गया कि प्रस्तावित लक्ष्य, जनगणना 2011 के आंकड़े और राज्यों द्वारा अब तक की एमआईएस रिपोर्ट के संदर्भ में और आगे जांच की आवश्यकता है।

4. दिनांक 27.11.2013 को हुई एनएसएससी की 47वीं बैठक में एनबीए के तहत संशोधित पीआईपी लक्ष्यों को अंतिम रूप देने के लिए सिद्धान्तों और कार्यपद्धति प्रस्तावित करने हेतु एक समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया था।

समिति ने निम्नांकित अनुशंसाएं की हैं :-

- बेसलाइन सर्वे का प्रवाह में आने की तिथि 01.04.2013 प्रस्तावित है।
- गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के लिए वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों हेतु नवीन पीआईपी लक्ष्य: संशोधित पीआईपी में गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के लिए आईएचएचएल हेतु नया लक्ष्य (दिनांक 01.04.2012 के अनुसार) =

नए बेस लाइन सर्वे, 2012-13 के अनुसार, गरीबी रेखा से नीचे के कुल परिवार (-) दिनांक 31.03.2012 तक एमआईएस पर राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, आईएचएचएल-बीपीएल के निर्माण में उपलब्धि।

- iii. एपीएल श्रेणी के लिए व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों हेतु नवीन पीआईपी लक्ष्य: संशोधित पीआईपी में गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए आईएचएचएल हेतु नया पीआईपी लक्ष्य (दिनांक 01.04.2012 के अनुसार) = नए बेसलाइन सर्वे 2012-2013 के अनुसार, शौचालयों की सुविधा रहित कुल एपीएल परिवार (+) दिनांक 01.04.2012 से बेसलाइन सर्वे की तिथि तक आईएमआईएस पर आईएचएचएल-एपीएल के तहत सूचित उपलब्धि।
- iv. पहचाने गए एपीएल (प्रोत्साहन हेतु पात्र) श्रेणी के लिए व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों हेतु नवीन पीआईपी लक्ष्य : संशोधित पीआईपी में (पहचानी गई श्रेणियां) गरीबी रेखा से ऊपर के-आईएचएचएल हेतु नया पीआईपी लक्ष्य (दिनांक 01.04.2012 के अनुसार) = नए बेसलाइन सर्वे 2012-2013 के अनुसार, शौचालयों की सुविधा रहित गरीबी रेखा से ऊपर के परिवार (+) दिनांक 01.04.2012 से बेसलाइन सर्वे की तिथि तक आईएमआईएस पर आईएचएचएल-एपीएल (पहचानी गई श्रेणियां) के तहत सूचित उपलब्धि।
- v. अतः समिति की अनुशंसा के अनुसार, आपके राज्य के पीआईपी के लिए संशोधित जिला-वार लक्ष्यों और तदनुसार परिव्यय की गणना कर ली गई है और इसे अनुलग्नक-1 पर रखा गया है। आपके राज्य में ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम का कार्यान्वयन संशोधित पीआईपी में दर्शाए गए लक्ष्यों के अनुसार, किया जाए।
- vi. यह विशेष रूप से इंगित किया जाए कि निम्नांकित मुद्दों को नोट किया जाए।
(क) वर्तमान नीति के अनुसार, जिन व्यक्तिगत परिवारों को वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों के निर्माण के लिए एक बार प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करा दी गई है, उन्हें पुनः प्रोत्साहन राशि उपलब्ध नहीं कराई जाए।
(ख) वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों, स्कूली शौचालयों, आंगनवाडी शौचालयों और सीएससी हेतु लागतें जो कि वर्तमान में अनुमत हैं, का उपयोग परिव्यय की गणना करने के लिए किया गया है। इनमें से किसी एक, कुछ अथवा सभी श्रेणियों में विस्तार करने संबंधी आदेश जारी होंगे, इन सभी में संशोधन होंगे।
- vii. इस संशोधित पीआईपी लक्ष्य के साथ पूर्व में निर्धारित पीआईपी लक्ष्यों को संशोधित माना जाएगा।

भवदीय,
सरस्वती प्रसाद

(सरस्वती प्रसाद)

संयुक्त सचिव (स्वच्छता)

प्रति :

1. राज्य एनबीए समन्वयनकर्त्ता, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और मणिपुर।
2. वेबसाइट पर डालने के लिए टीडी (एनआईसी) ।

SIKKIM	EAST SIKKIM	0	0.00	0.00	0.00	127	15	100	0	0	5	7	127	4.70	1.78	1.14	93	111.60	55.80	18.60
SIKKIM	NORTH SIKKIM	0	0.00	0.00	0.00	62	6	54	0	0	2	0	62	2.29	0.87	0.56	0	0.00	0.00	0.00
SIKKIM	SOUTH SIKKIM	0	0.00	0.00	0.00	102	13	83	0	0	2	4	102	3.77	1.43	0.92	4	4.80	2.40	0.80
SIKKIM	WEST SIKKIM	0	0.00	0.00	0.00	106	14	87	0	0	0	5	106	3.92	1.48	0.95	0	0.00	0.00	0.00
		0	0.00	0.00	0.00	397	48	324	0	0	9	16	397	14.69	5.56	3.57	97	116.40	58.20	19.40

EAST SIKKIM	452	121.81	52.21	0	0.00	0.00	549.50	235.50	0.00	0.00	7	19.60	4.90	46.50	11.63	170.90	42.73	3.49	0.87	1028.11	405.41	19.74	1453.26	
NORTH SIKKIM	0	0.00	0.00	6	0.42	0.18	205.80	88.20	0.00	0.00	3	8.40	2.10	12.20	3.05	44.84	11.21	0.92	0.23	274.87	105.84	0.56	381.26	
SOUTH SIKKIM	335	90.28	38.69	0	0.00	0.00	450.10	192.90	0.00	0.00	1	1.90	0.48	31.15	7.79	114.47	28.62	2.34	0.58	698.82	272.89	1.72	973.43	
WEST SIKKIM	295	79.50	34.07	127	8.89	3.81	506.10	216.90	0.00	0.00	1	2.04	0.51	33.90	8.48	124.60	31.15	2.54	0.64	761.50	297.04	0.95	1059.49	
	0	1082	291.60	124.97	133	9.31	3.99	1711.50	733.50	0.00	0.00	12	31.94	7.99	123.76	30.94	454.81	113.70	9.28	2.32	2763.29	1081.17	22.97	3867.43